







जन हितैषी

वर्चुअल माध्यम से अदालती कार्यवाही में सहयोग देकर राज्य सरकार ने अदालतों को महेया कराई आवश्यक सुविधाएँ: मुख्यमंत्री

अहमदाबाद ( ईएमएस रमेश्वरमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केवड़िया में दो दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन के अवसर पर महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, मोरारजी देसाई और विश्व नेता प्रधानमंत्री नेहरू योदी की भूमि गुजरात में सभी का स्वागत करते हुए कहा कि यह सम्मेलन देश में न्यायपालिका को अधिक सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि न्यायालय में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग होने से नागरिकों को शीशी और आसानी से न्याय मिले उसके लिए 'आजादी का अमृत महोत्सव' बोल अवसर पर आयोजित हो रहा यह सम्मेलन देशभर में न्यायतंत्र के लिए अमृत काल बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के प्रेरणास्तोत्र लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने 562 देशी रियासतों को आजादी के बाद भारत परिसंघ में शामिल करने की प्रक्रिया में मध्यस्थता की अनोखी मिसाल पेश की थी। उन्होंने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में भी सदियों से मध्यस्थता की ऐसी परंपरा अस्तित्व में थी। यह परंपरा मीजूदा न्याय प्रणाली के अनुसर है। उन्होंने विश्वास जताया कि मध्यस्थता के माध्यम से पक्षकार अपने विवाद को अलग-अलग दृष्टिकोण से समझकर सर्वस्वीकार्य समाधान के जरिए न्याय प्राप्त हो सके। उसके लिए आज का सम्मेलन महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पक्षकारों द्वारा विवादों का शीघ्र समाधान हो उसके लिए मध्यस्थ सहायक होता है। जिसके कारण पक्षकारों के बीच विवाद का निराकरण लाकर अदालती मामला खत्म होता है और अदालत का बोझ कम होता है। पटेल ने कहा कि 'वसुधैव कुटुंबकम' की पारिवारिक भावना को बरकरार रखते हुए पारिवारिक विवादों का समाधान कोर्ट-कच्चहरी के बाहर सामाजिक, धार्मिक या प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्तक्षेप से समाधान के लिए 'फैमिली फस्ट' की समझाइश की नई अवधारणा अपनाई है। इसके लिए जिला एवं तहसील स्तर पर समितियों का गठन भी किया गया है। सामाजिक सौहार्द, समरसता और बंधुत्व जैसे संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को साकार करने में यह प्रयोग एक सफल माध्यम बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के रोल मॉडल गुजरात ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अनेक नए आयाम स्थापित कर जनसेवा प्रकल्पों और जनहित के कार्यों में ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग कर जन सेवाओं को और भी पारदर्शी बनाकर देशभर में आगे रहते हुए प्रधानमंत्री के 'डिजिटल इंडिया' के संकल्प को पूरा करने में अहम भूमिका निभाकर देश को राह दिखाई है। उन्होंने कहा कि राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के नागरिकों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उनकी दहलीज तक पहुंचाने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम का अभिनव दृष्टिकोण अपनाकर सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। इन्होंने कहा कि गुजरात में जनसामान्य तक सूचना प्रौद्योगिकी के दायरे का विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात ने न्यायतंत्र में डिजिटलाइजेशन और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का व्यापक उपयोग किया है। कोरोना की वैश्विक महामारी के बीच भी कोई न्याय से वंचित न रहे, ऐसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जनहितकारी दृष्टिकोण को राज्य सरकार ने वर्चुअल माध्यम से अदालती कार्यवाही में सहयोग देकर अदालतों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई हैं। इसके साथ ही न्यायपालिका में आईटी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन सहित वर्चुअल सुनवाई के मार्फत पारदर्शिता लाने के संबंध में भी राज्य सरकार ने न्यायतंत्र को सहयोग दिया है। गुजरात की न्यायपालिका ने हाई कोर्ट की कार्यवाही का यू-ट्यूब के माध्यम से लाइव टेलिकामस्ट करने की देशभर

आईएससीसीएम ने क्रिटिकल केयर मेडिसिन  
में नए आयाम की तलाश के लिए क्रिटिकेयर  
2022 सम्मेलन आयोजित किया

अप्रैल 2022: इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केन्द्र मेडिसिन (एच्यूएस) ने अपना 28वां वार्षिक सम्मेलन 'क्रिटिकल केन्द्र 2022' अहमदाबाद में आयोजित किया। महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर, गांधीनगर में 6 से 10 अप्रैल 2022 तक आयोजित इस कान्फ्रेंस का उद्देश्य क्रिटिकल केन्द्र मेडिसिन में जागरूकता, सतत शिक्षा और अनुभवों के बीच बढ़ावा देना।

कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। यह बेहद उत्साहजनक है कि यह आयोजन हमारे सम्मानित प्रतिनिधियों और फैकल्टी के लिए अपने अनुभवों, नए रुझानों, विचारों और अनुभवों के बीच एक ऐसा मौका हो जाए।

अनुसंधान को बढ़ावा देना था।  
इस अवसर पर बोलते हुए,  
क्रिटिकेयर 2022 के आयोजन सचिव  
डॉ. अर्दिम कर ने कहा, वर्तमान में इस अवसर  
पर इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल  
केयर मेडिसिन के 28 वें वार्षिक  
सम्मेलन ठक्रिटिकेयर 2022 ठ में  
उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों,  
मेहमानों और प्रतिनिधियों के प्रति अपनी



कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। यह बेहद  
उत्साहजनक है कि यह आयोजन हमारे  
सम्मानित प्रतिनिधियों और फैकल्टी  
के लिए अपने अनुभवों, नए रुद्धानां,  
नवीन प्रौद्योगिकी और नई दबाओं से  
जुड़े अपने शोध को प्रदर्शित करने के  
अवसर के रूप में उभरा है।”

मध्यस्थता के माध्यम से वैकल्पिक विवाद  
समाधान का विचार भारत में कानूनी  
परिदृश्य को बदल सकता है: चीफ जस्टिस

अहमदाबाद (इएमएस) देश के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना ने केवडिया में आयोजित राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि संघर्ष मानवजाति का दूसरा चेहरा है। संघर्ष से होने वाले नुकसान एवं असुविधा को देखने के लिए व्यक्ति के पास दूरदर्शित होनी चाहिए। विवाद न केवल पक्षकारों के आपसी संबंध को बिगड़ाता है, बल्कि लंबे वक्त तक चलने वाला मुकदमा उनके संसाधनों को ही नष्ट कर सकता है और जीवनपर्यंत की दुश्मनी की वजह बनता है। प्रत्येक संघर्ष या मतभेद का अंत अदालत में ही हो यह जरूरी भी नहीं है। महाभारत का दृष्टांत देते हुए उन्होंने कहा कि तटस्थ माहौल में मतभेदों को हल किया जा सकता है, जहां सभी पक्षकारों को उनका इच्छित न्याय मिलता है। कारण यह है कि जीवन एक संतुलित कार्य है। गुजरात व्यापरियों के लिए जाना जाता है और उनसे बेहतर और कोई नहीं जानता कि यदि समय को खो दिया मतलब धन खो दिया। इसलिए यह आवश्यक है कि विवाद का समाधान जल्द हो। उन्होंने कहा कि विवादों को प्रभावी तरीके से और शीघ्रता से हल करने का जरूरत का समझन का लिए व्यापरियों से अच्छा उदाहरण भला और क्या होगा। वास्तव में कुशल उद्योगपति ऐसे विवादों का सामना करते हैं। लोक अदालतों और मध्यस्थता केंद्रों के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान का विचार भारत में कानूनी परिवृश्य को बदल सकता है। वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) संसाधनों को भी बचा सकता है। प्रि-लिटिगेशन स्तर पर मध्यस्थता और बातचीत विवादों को हल करने की सबसे बेहतर पद्धति है, क्योंकि वह पक्षकारों की सहभागिता को अधिकतम बनाती है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में बाहर के लोगों के बजाय सीधी भागीदारी वाले नागरिक प्रक्रिया के अंदर के लोग होंगे। मध्यस्थता अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में भी चलन में आ रही है। प्रि-लिटिगेशन स्तर पर ही निजी मध्यस्थता भी सामान्य बन रही है। एडीआर की संपूर्ण संभावना को साकार करने में अदालतों की भूमिका निर्णयिक है। केस मैनेजमेंट के लिए मध्यस्थता और बातचीत को अनिवार्य बनाने के लिए अदालतों को सक्रिय प्रयास करना चाहिए। वकीलों को प्रि-लिटिगेशन मध्यस्थता के किसी भी अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए।

अपाराधिक सेवा पर "का सेवा का योगदान" सेवा के अंतर्गत

हैन्डलूम कारपेट और अन्य फ्लोरिंग प्रोडक्ट' का स्टॉल लगाया गया। अहमदाबाद, भारतीय रेलवे द्वारा आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए स्थानीय उत्पादों को लोकप्रिय एवं सर्व सुलभ बनाने हेतु वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में "वन स्टेशन-वन प्रोडक्ट योजना" शुरू की गई है। इसी क्रम में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर "हैन्डलूम कारपेट एवं अन्य फ्लोरिंग प्रॉडक्ट" का प्रायोगिक तौर एक पर स्टॉल लगाया गया है। जिससे रेलवे द्वारा यात्रा करने वाले यात्री लाभान्वित हो सकेंगे। मण्डल रेल प्रबंधक तरुण जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का लक्ष्य यात्रियों को बेहतर क्वालिटी एवं उच्च गुणवत्ता वाले स्थानिक उत्पादों को किफायती दरों पर यात्रियों को उपलब्ध कराना है। साथ ही स्थानीय उत्पाद को बनाने वाले आर्टिजन को भी लाभान्वित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर कॉनकोर्स हॉल में गेट नं. 1 के पास "हैन्डलूम कारपेट एवं अन्य फ्लोरिंग पॉटलूट" का एक स्टॉल लगाया गया है। यह स्टॉल प्रायोगिक तौर पर आगामी 15 दिनों के लिए ₹500/- के मासूली टोकन राशि पर आवंटित किया गया है। मण्डल रेल प्रबंधन अहमदाबाद के अनुसार इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर उस जगह के खास उत्पादों की बिक्री के लिए स्टॉल लगाये गए हैं। उत्पादों के स्टॉल लगाने से जिस रेलवे स्टेशन पर यात्री उत्तरेंगे, यात्री वहां के खास उत्पादों के बारे में आसानी से जान सकेंगे। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्थानिक उत्पादों का प्रचार-प्रसार करने में मदद मिलेगी। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का प्रमुख उद्देश्य रेलवे का उपयोग करके स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति शृंखला को बेहतर बनाना है। इस कार्यक्रम के दैरान मण्डल रेल प्रबंधक तरुण जैन, वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक रवीन्द्र श्रीवास्तव, स्टेशन मेनेजर अनुराग शिल्प, सहायक वाणिज्य प्रबंधक हितेश जोशी सहित अन्य अधिकारीगण, रेल कर्मचारी एवं मीडियाकर्मी उपस्थित रहे।

न्याय में इच्छित परिणाम के लिए सभी पक्षों को मध्यस्थता के पाति सम्भागात्मक रूपैया ग्रहना चाहिए: गष्टपति

- रामनाथ कोविंद ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में दो दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का किया उद्घाटन अहमदाबाद (ईएमएस) राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने त्वरित न्याय प्रक्रिया पर जोर देते हुए कहा कि न्याय में इच्छित परिणाम तक पहुंचने के लिए सभी पक्षों को मध्यस्थता को लेकर सकारात्मक रवैया रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों में विवादों के वैकल्पिक समाधान की पद्धति न्याय तंत्र में प्रभावी साखित हुई है। विशेषकर दीवानी मामलों में इसके जरिए सुखद समाधान लाया जा सकता है। राष्ट्रपति ने यह बात शनिवार को गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित एकता नगर में 'मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी' विषय पर आधारित दो दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कही। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवब्रत, देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजु, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और सर्वोच्च न्यायालय एवं विधिव्यवस्था न्यायालयों के न्यायाधीश उपस्थित थे।

अधिकता के रूप में अपने दिनों को याद करते हुए कहा कि उन वर्षों के दौरान उनके मन-मस्तिष्क पर जो मुद्दे छाए रहते थे, उनमें से एक 'एक्सेस टू जस्टिस' अर्थात् न्याय तक पहुंच का मुद्दा भी था। 'न्याय' शब्द में बहुत कुछ समाहित है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में उस पर समुचित तरीके से जोर दिया गया है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय की पहुंच को कैसे सुधारा जा सकता है उस विषय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के लिए विषयों का चुनाव बहुत सावधानी से किया गया है। न्याय तंत्र में वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) दोनों कई वजहों से काफी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके लिए वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सिस्टम को और भी कार्यकुशल बनाने में सहायक होगा और न्याय देने के लिए ज्यादा सक्षम बनेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले दो दशकों के दौरान सभी पक्षकारों ने विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थता को प्रभावी साधन माना है और उसे प्रोत्साहन दिया है। कई कानूनी विद्वानों ने यह भी अवलोकन किया है कि नागरिक अधिकारों के संदर्भ में लोगों होगा। इसके अलावा, यदि हम इच्छित परिणाम हासिल करना चाहते हैं, तो सभी पक्षकारों को मध्यस्थता के प्रति सकारात्मक रवैया दिखाना होगा। इस संदर्भ में प्रशिक्षण बड़ा बदलाव ला सकता है। प्रशिक्षण विभिन्न स्तरों पर प्रदान किया जा सकता है। प्रारंभिक स्तर पर प्रारंभिक पाठ्यक्रमों से लेकर मध्य-करियर पेशेवरों के लिए रिप्रेनेशर पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया जा सकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता और समाधान प्रोजेक्ट कमेटी द्वारा राज्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की प्रशंसन करते हुए इसे एक उत्तम कार्य करार दिया। सम्मेलन के दूसरे विषय- सूचना प्रौद्योगिकी पर बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हम सभी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरे हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान पहले कभी न देखे गए संकट के बीच यदि कोई एक आशा थी, तो वह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) से थी। आवश्यक गतिविधियों के लिए और अर्थव्यवस्था के पहिये को गतिशील रखने में आईसीटी सबसे ज्यादा मददगार साबित हुआ है। रिपोर्ट वर्किंग की तरह रिपोर्ट लिनिंग ने शिक्षा में व्यवधान को टालने में मदद की। एक तरह से यह संकट डिजिटल क्रांति के लिए एक अवसर साबित हुआ

इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने लीगल प्रैक्टिशनर यानी पीएम मोदी आज जूनागढ़ स्थित उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। अहमदाबाद (ईएमएस) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रामनवमी के अवसर पर 10 अप्रैल, 2022 को दोपहर 1 बजे गुजरात के जूनागढ़ के गठिला स्थित उमिया माता मंदिर के 14 वें स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। मंदिर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2008 में किया था, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री द्वारा 2008 में दिए गए सुझावों के आधार पर, मंदिर ट्रस्ट ने विभिन्न सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों से संबंधित अपने दायरे का विस्तार किया है, जैसे निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन और आर्थिक रूप से कमज़ोर रोगियों के लिए निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाओं का वितरण आदि। उमिया मां को कडवा पाटीदारों की कलदेवी माना जाता है।

के बीच अदालतों में लंबित ज्यादातर मामले ऐसे होते हैं कि उन्हें निर्णय की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में पक्षकार मध्यस्थियों के संरचनात्मक हस्तक्षेप के मार्फत उनके विवाद का समाधान कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि मध्यस्थिता का उद्देश्य विवाद का किसी आदेश या शक्ति के जरिए निराकरण करने का नहीं बल्कि पक्षकारों को व्यवस्थित मध्यस्थिता बैठकें आयोजित कर समाधान पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करने का है। कानून एक प्रोत्साहन भी देता है, यदि किसी भी लंबित मामले को मध्यस्थिता के जरिए सुलझाया जाता है, तो आवेदक पक्ष द्वारा जमा की गई संपूर्ण न्यायालय फीस को वापस कर दिया जाता है। इस तरह देखा जाए तो वास्तव में मध्यस्थिता से समाधान लाने में हर पक्ष विजेता है। राष्ट्रपति ने कहा कि मध्यस्थिता की अवधारणा को अभी पूरे देश में व्यापक स्थीकृति नहीं मिली है। कई स्थानों पर पर्याप्त प्रशिक्षित मध्यस्थित उपलब्ध नहीं है। कई मध्यस्थित केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं को अपग्रेड करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस प्रभावी उपकरण से व्यापक आबादी को लाभ पहुंचाने के लिए इन बाधाओं को जल्द से जल्द दर करना है। सार्वजनिक सेवा वितरण को ज्यादा कार्यकुशल बनाने के लिए लोग आईसीटी को तेजी से अपना रहे हैं। जिस बत्त प्रत्यक्ष सभा-समारोहों को टालना पड़ा, तब वर्चुअल यानी आभासी सुनवाई के जरिए न्याय देना भी संभव बना था। राष्ट्रपति ने यह बात भी कही कि महामारी से पहले भी न्याय वितरण प्रणाली, वकीलों और सभी हितधारकों को दी जाने वाली सेवाओं की मात्रा एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए आईसीटी से लाभ हुआ था। उन्होंने कहा कि सुधीम कोर्ट में गठित ई-कमेटी के नेतृत्व और भारत सरकार के न्याय विभाग के सक्रिय सहयोग एवं संसाधन से नीति के अनुसार ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के दो चरण पूरे किए गए हैं और क्रिया योजना को संबंधित चरणों के लिए मंजूर कर अपनाया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप ई-कोर्ट के पोर्टल पर प्रकाशित आंकड़े आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि अन्य सार्वजनिक संस्थानों की तरह न्याय तंत्र को भी डिजिटल दुनिया में स्थानांतरित करने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, उसे व्यापक तौर पर 'चेन्ज मैनेजमेंट' के रूप में जाना जाता है और वह परिवर्तन का ही एक हिस्सा है।

